तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5360/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम कीर्ति कुमार	नम्बर व तारीख

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16–11–2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार गोगुन्दा के समक्ष जसराम जैन निवासी सायरा ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर अंकित किया कि ग्राम सायरा की साबिक आराजी नम्बर 3494 हाल नम्बर 4268 में से कीर्ति कुमार पिता मोती एवं सोहनलाल पिता चुन्नीलाल जैन को क्रमशः चार–चार बिस्वा भूमि बाडे हेतु आवंटित की थी। तब से चारों ओर परकोटा बनाकर काबिज है लेकिन प्रकरण संख्या–5/1997 से किशनसिंह पिता भैरूसिंह एवं प्रकरण संख्या 4/97 में श्री खुमाण सिंह पिता डालू को क्रमशः 0.0400हैक्टयर भूमि प्रत्येक को बाडा हेतु आवंटन हुई है, जिसका मौके पर कब्जा नहीं है, हमारा कब्जा पूर्व से कही है। अभी राज्य कर्मचारियों की हडताल के समय खुमाण सिंह एवं उसके पुत्रों ने ताला तोडकर घास व मवेशी बैठा दी है। अतः बाडा आवंटन को निरस्त किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 27–4–2000 से खुमाणसिंह के पक्ष में प्रकरण संख्या 4/97 निर्णय दिनांक 27–3–1997 से ग्राम सायरा की आराजी नम्बर 4268 में से अस्थाई बाडा हेतु आवंटित भूमि 0.0400हैक्टयर को आवंटन शर्तो की पालना की जाने से बाडा आवंटन को यथावत रखा। उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5360/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम कीर्ति कुमार	नम्बर व तारीख
	तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 20-7-2000 से रिव्यू प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर ग्राम सायरा की आराजी नम्बर 4268 रकबा 0.0400हैक्टयर बाडा आवंटन श्री खुमाण सिंह पिता डालूसिंह राजपूत निवासी सायरा को प्रकरण संख्या 4/97 दिनांक 27-2-1997 से किया गया निरस्त कर दिया। साथ ही ग्राम सायरा की साबिक आराजी नम्बर 3494 हाल नम्बर 4268 में दिनांक 29-8-1986 को कीर्तिकुमार पिता मोतीलाल महाजन एवं सोहनलाल पिता चुन्नीलाल जैन निवासी सायरों को किया गया बाडा आवंटन मौके पर कब्जा नहीं होने से निरस्त कर दिया। तहसीलदार द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध खुमाणसिंह ने जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-2-2003 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-08-2004 से खारिज कर दी। इन्हीं निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा गैर निगरानीकार की आपत्ति सही तौर पर खारिज की थी लेकिन बाद में बिना किसी आधार के अपना पूर्ववर्ती निर्णय बदलते हुए दिनांक 27-4-2000 को रिव्यू प्रार्थनापत्र गलत रूप से स्वीकार किया और प्रार्थी का कब्जा भी नहीं मानने का तथ्य अंकित कर दिया जबकि उसका कब्जा है। कलक्टर और राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी बिना किसी आधार के उक्त निर्णय की पुष्टि की है। इन तर्को का खण्डन करते हुए अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा और उक्त जमीन अप्रार्थी को आवंटित हो चुकी है, जैन समाज का कब्जा है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही विश्लेषण करते हुए अपील खारिज की है। एक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5360/2004/उदयपुर खुमानसिंह बनाम कीर्ति कुमार	नम्बर व तारीख

आदमी को दो बाडे आवंटित नहीं हो सकते।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1153 में से प्रार्थी खुमानसिंह को 0.0400 हैक्टयर भूमि का आवंटन पूर्व में किया जाना ओर उसे निरस्त नहीं होना और एक आदमी को दो बाडे के लिए जमीन आवंटन नहीं किया जाना नियमों में नहीं माना है और अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आवंटन बिना किसी कारण बताये निरस्त किया जा सकता है और अपीलान्ट का तो मौके पर कब्जा भी नहीं था। उक्त निष्कर्ष तहसीलदार ने अपने रिव्यू प्रार्थनापत्र में, जिला कलक्टर और राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णयों में उल्लेखित किये है। जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यदि कोई तथ्य पूर्व आदेश में छुट गये है तो न्यायालय के ध्यान में लाने पर उसे रिव्यू किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश दिनांक 20-7-2000 की पुष्टि की है और बिना कब्जे के प्रार्थी का कोई मामला नहीं बनता है और किसी व्यक्ति को दो बाडे के लिए जमीन आवंटित भी नहीं हो सकती। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर चुनौतीग्रस्त आदेश में कोई अवैधता, अनियमितता प्रकट नहीं होती है और ना ही आदेश अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी की यह निगरानी खारिज किये जाने येाग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)

सदस्य